आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

वाद संख्या– 49/2015–2016

श्री विजय कुमार सिंह–वादी

बनाम्

श्री अरूण कुमार सिंह एवं अन्य–प्रतिवादी

वादी के ओर से विद्वान अधिवक्ता

(1) श्री शैलेश शर्मा

(2) श्री बिनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी के ओर से विद्वान अधिवक्ता

(1) श्री अनिल शर्मा

30-06-2016

आदेश

वादी ने वाद पत्र में विवादित भूमि का विवरण दिया है, जो निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा ए० डी०	चौहद्दी
735	2415	0–09	उतर–धनन्जय सिंह वगैरह दक्षिण–विपक्षीगण पूरब–सरकारी नाली के बाद सड़क पश्चित–अमरेन्द्र सिंह

मौजा–नसिरना, थाना+अंचल–कूर्था, जिला–अरवल।

वादी ने उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि का क्रय वासिका संख्या–8662/99 दिनांक 04.11.99 के द्वारा भूमि मालकिन भूनेश्वरी देवी पति–राधाकृष्णा सिंह ग्राम–नसिरना, थाना–कूर्था, जिला–अरवल से किया था। उन्होंनें आरोप लगाया है कि विपक्षीगण बेवजह का उपरोक्त भूमि पर दावा कर रहे है। इसलिये भूमि सीमांकन कर विपक्षी के अवैध कब्जे को रोकने तथा भूमि पर अधिकार का प्रख्यापन वादी के पक्ष में करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र में भूमि से संबंधित विवरणी दिया है और सूचित किया है कि माननीय अनुमण्डलाधिकारी के न्यायालय में धारा–147 द० प्र० सं० के

अन्तर्गत वाद संख्या 396/15 लंबित है। उन्होनें कहा है कि प्रश्नगत् भूमि में वर्षो से पक्का नाली निर्मित है जिसे वादी बलपूर्वक बंद करना चाहते है। उन्होंनें सूचित किया है कि उक्त नाली के विवाद का निष्पादन पंचायत में पंचों के द्वारा दिनांक 10.09.2006 को किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि अंचलाधिकारी, कूर्था ने अपने पत्रांक 316 दिनांक 24.04.2015 के द्वारा मानिकपुर ओ० पी० प्रभारी को गली एवं नाली अवरूद्व करने से संबंधित पत्राचार किया है। उन्होनें कहा कि वादी बेवजह प्रतिवादीगण को परेशान करने हेतु वाद दाखिल किये है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में बारम्बार कहा कि वादी को वाद में रूची नहीं है, इसलिये लगातार अनुपस्थित रहते है। उन्होनें आरोप लगाया कि वादी ने तथ्यों को छिपाकर वाद दाखिल किया है इसलिये उन्होनें वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी के सुनने के उपरान्त अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि वादी लगातार करीब नौ महीने से अनुपस्थित है एवं इससे पूर्व भी यदाकदा ही उपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में रूची नहीं है। इसके अलावे विवादित भूमि यथा नाली से संबंधित मामला माननीय अनुमंडलाधिकारी, अरवल के न्यायालय में लंबित है, इसलिये इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30/06/16

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

30/06/16

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।